भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2201
जिसका उत्तर मंगलवार 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना

2201. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त मिशन की शुरुआत से कितने पर्यावरणीय हितैषी और संकट वाहनों का विनिर्माण किया गया है;

(ग) क्या सरकार का उक्त मिशन के अंतर्गत उन शहरों की और विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है जहां प्रदूषण खतरे के निशान तक पहुंच गया है; और

(घ) उक्त मिशन ने देश में विद्युत आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने में योगदान प्रदान किया है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (संयुक्त रूप से एक्सईवी कहा जाता है) के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अनुमोदित किया और तत्पश्चात वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 का शुभारंभ किया। इस मिशन प्लान को मुख्यतः देश में ईंधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।

इस मिशन योजना के भाग के रूप में, सरकार ने शुरुआत में दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होकर 31 मार्च, 2017 तक की दो वर्षों की अवधि के लिए फेम इंडिया योजना [भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] अधिसूचित की, जिसे आगे दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना सरकार की हरित पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना है।

घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण और सड़क परिवहन में जीवाश्म ईंधनों के उच्च स्तर को देखते हुए योजना के चरण-1 को निम्नलिखित क्षेत्रों तक सीमित किया गया हैः-

(क) "स्मार्ट सीटीज" पहल के अंतर्गत शहर

(ख) प्रमुख महानगरों के समूह - दिल्ली एनसीआर, बृहत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद।

(ग) सभी राज्यों की राजधानियां और अन्य शहरी समूह/एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहर (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों के शहर

तथापि, दिनांक 30 सितंबर, 2015 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2696(ई) के द्वारा सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दुपहिया और तिपहियां वाहनों को भारत में कहीं भी उनकी बिक्री के लिए लागू किया गया।

चूकि इस समय यह स्कीम पूर्णतः सम्पूर्ण भारत (पैन-इंडिया) के लिए लागू नहीं है, इसलिए यह विभाग इस स्कीम के मांग सृजन वाले क्षेत्र के तहत समर्थित वाहनों के आंकड़े एकत्र करता है, जिसमें शामिल किए गए इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए मांग प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से कुल 2,18,625 एक्सईवी के लिए ₹253 करोड़(लगभग) सहायता मांगी गई है जिसके परिणामस्वरूप अनुमानतः 3,03,16,917 लीटर ईंधन की बचत और 7,58,47,082 कि.ग्रा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आई है। इसके अलावा, अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए 26 ओईएम के एक्सईवी के 102 मॉडल पंजीकृत किए गए हैं।

इस योजना में देश में बिजली की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों को उन्हें पावर देने हेतु उपयोग की जाने वाली अपनी बैटरियों की चार्जिंग के लिए ग्रिड से बिजली लेनी होगी। देश में वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस समय पर्याप्त क्षमता है।

****